संख्या: 37 / 2026 /809/ सत्रह-म-2026-17-1099/55/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2026

विषय: उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में निर्गत मार्ग- निर्देश में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-297/नि0शा0/उ0प्र0म0पा0क0को0/2026-27 दिनांक 07.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनाक 06 मार्च 2023, शासनादेश संख्या-3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 27 जनवरी, 2025 शासनादेश संख्या- 25/2025/616/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं शासनादेश संख्या-6/2026/306/ सत्रह- म-2026-17- 1099/55/ 2021 दिनांक 10 फरवरी, 2026 में मछुआ उत्सव भवन हेतु शासनादेश प्रस्तर संख्या- 2(21)(अ) में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण' कोष के क्रियान्ययन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-6/2026/306/ सत्रह- म-2026-17- 1099/55/ 2021 दिनांक 10 फरवरी, 2026 में मछुआ उत्सव भवन हेतु शासनादेश प्रस्तर संख्या- 2(21)(अ) में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

शासनादेश प्रस्तर संख्या-	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(21) (अ)		मछुआ उत्सव भवन हेतु न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमे मछुआ उत्सव भवन निर्माण क्षेत्र (Buildup Area) 522 वर्ग मी० होगा। मछुआ उत्सव भवन में एक हॉल स्टेज/मण्डप सहित (100 लोगों की क्षमता का), 03 कमरे जिसमे एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा भूतल पर शौचालय सहित, पुरुष / महिला / दिव्यांग शौचालय रसोई घर इत्यादि का निर्माण किया जायेगा। मछुआ

	कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।	उत्सव भवन हेतु मानक प्लान जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा तैयार किया गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित किया गया है। मानक प्लान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की उपलब्धता के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी विशिष्टियों के अनुरूप विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर निर्मित कराया जायेगा। मछुआ उत्सव भवन निर्माण हेतु डी०पी०आर०/ इस्टीमेट कन्सलटिंग इंजीनियर द्वारा अभियन्ता, जिला पंचायत की देखरेख में तैयार कर जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मछुआ उत्सव भबन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी। मछुआ उत्सव भवन से संबंधित समस्त कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता /मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोठक द्वारा किया जायेगा। **कार्यदायी संस्था-** मछुआ उत्सव भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित, खोलने एवं निविदा मूल्यांकन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा । निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा। दोनों टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जायेंगे।

3- शासनादेश 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021, दिनाक 06 मार्च 2023, शासनादेश संख्या- 3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 27 जनवरी, 2025 शासनादेश संख्या- 25/2025/616/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021, दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं शासनादेश संख्या-6/2026/306/ सत्रह- म-2026-17- 1099/55/ 2021 दिनांक 10 फरवरी, 2026 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश में संशोधन के सम्बंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य / शर्तो/ मानकों के निर्धारण / संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्णारण करते हुए योजना के संचालन

पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत् रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बंधित विभाग से कराया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 15-06-2026 19:48:05

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या- 37 /2026/809(1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य प्रसंस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।